



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरणक्रमांक

/2015 एम जे सी एप्लो 13931-15

शाहलिकराम पुत्र चन्दन सिंह निवासी ग्राम गौहर  
तहसील छुरई, हाल तहसील बीना जिला सागर

--- आवेदक

बनाम

श्यामा बन्धु पुन्ना चमार निवासी -ग्राम  
गौहर, हाल निवासी मूडरी तहसील बीना

जिला सागर

-- आवेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 § 3 § म 0प्र0 भू राजस्व संहिता

वा स्ते रिब्यू प्रकरण क्रमांक 2469 -TT /2002 ~~00000000~~ <sup>धारजा</sup>

दिनांक 4.4.2013 व उन्वान शाहलिक राम बनाम श्यामा

को अदम पैरवीमनिरस्त किये जा निबाबतको नंबर पर लिये जाने हेतु

-----

माननीय न्यायालय

आवेदक की ओर से रिब्यू प्रकरण को पुनः नम्बर

पर लिये जाने बाबत आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत रिब्यू प्रकरणक्रमांक 2469/TT/02 विरुद्ध दिनांक 19.7.2002 द्वारा पारित सदस्य राजस्व मण्डल म प्र. ग्वालियर प्रकरण क्रमांक अपील 1738-TT/02 दिनांक 14.11.2002 को प्रस्तुत की गई थी जो माननीय न्यायालय द्वारा रिब्यू 0 आवेदन दिनांक 4.4.2013 को निरस्त कर दी गई है। जिसे नम्बर पर लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत है।

दिनांक 5-12-15 को  
श्यामा बन्धु पुन्ना चमार  
का नाम से आवेदन  
5-12-15  
SO

Filed by  
M.P. Bhakshraj  
5/12/15

14/12/15

R

प्रस्तुतकार

प्रस्तुतकार के द्वारा प्रस्तुत  
3000 रुपये के प्रमाणपत्र / 500/-  
का प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र / प्रमाणपत्र - प्रमाण  
प्रमाणपत्र 2469, 11/02 प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र  
प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र  
प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र

  
14/12/15

[ पीछे देखिये ]